भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4408

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

09 चैत्र, 1944 (शक)

डिजिटल इंडिया योजना और आधार

4408. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आधार में विवरण अद्यतन करने और अन्य सरकारी दस्तावेजों के साथ आधार संख्या को सम्बद्ध करने में आर रही समस्याओं के संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए है;
(ख) यदि हां, तो इसमें क्या कार्रवाई की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि डिजिटल योजना समावेशी हो और वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए सुलभ हो;
(ग) क्या सरकार का विचार डिजिटल इंडिया योजना में उभरते हुए वेब 3.0 को शामिल करने का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसकें क्या कारण है;

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): जी, हां । यूआईडीएआई ने निवासियों द्वारा आधार संबंधी विवरण को अद्यतन करने हेतु नीचे उल्लिखित विभिन्न सुविधाओ का सृजन किया है:

I. यूआईडीएआई पूरे भारत में कार्यरत 55,000 से अधिक नामांकन केंद्रों के माध्यम से निवासियों को आधार नामांकन/अद्यतन सुविधा प्रदान करता है। यूआईडीएआई 79 अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र भी चलाता है जो निवासियों को एक सुविधापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है और व्हील-चेयर युक्त हैं, जिसमें वृद्ध या अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए सेवा उपलब्ध कराने हेतु विशेष व्यवस्थाएं हैं ।

II. जिन निवासियों ने अपने मोबाइल को आधार से लिंक किया है, उनके पास ऑनलाइन पोर्टल यानी myaadhaar.gov.in के माध्यम से अपने जनसांख्यिकीय डेटा (नाम, आयु, लिंग और जन्म तिथि) को अपडेट करने का विकल्प होता है।

III. यूआईडीएआई ने अपने मोबाइल/ईमेल को आधार से सम्बद्ध करते हेतु, निवासियों की सुविधा के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंकों (आईपीपीबी) को रजिस्ट्रार के रूप में ऑन-बोर्ड किया है। ये सेवाएं पोस्टमैन के माध्यम से दी जाती हैं और औसतन 30,000 से अधिक ऐसे पोस्टमैन दैनिक आधार पर काम कर रहे हैं।

साथ ही, आधार का एक समावेशी दृष्टिकोण है और इसकी नामांकन/अद्यतन प्रक्रियाएं वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हैं।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल इंडिया योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी और सुलभ है, भारत सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं- भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्लयू) के लिए दिशानिर्देशों का प्रकाशन जिसमें वेबसाइट अभिगम्यता पर दिशानिर्देश, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अभिगम्यता मानक 'आईएस17802' भाग-I का प्रकाशन शामिल है जिसके तहत विभिन्न अक्षमताओं संबंधी कार्यात्मक आवश्यकता को संबोधित किया गया है । साथ ही क्षमता निर्माण के लिए नियमित अभिगम्यता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग) और (घ): भारत सरकार वेब 3.0 और उन अवसरों और चुनौतियों से अवगत है जिनका वह प्रतिनिधित्व करती है। सरकार को भरोसा है कि डिजिटल इंडिया के साथ, उद्यमी वेब 3.0 में नवाचार में सम्बंधी बदलाव का नेतृत्व करेंगे।

****